न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 127/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामकिशोर पुत्र गुडिया राम जाति जाट निवासी ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2. गोरधन पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

3. रघुवीर पुत्र सूरज जाति जाट निवासी ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

4. मीनू पुत्री लीलाराम जाति जाट निवासी ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांट

बनाम

1 देशराम पुत्र सोनिया जाति जाट निवासी ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
2 रामसिंह पुत्र सोनिया
3 बीरबल पुत्र रतीराम
4 धर्मचन्द पुत्र रतीराम
5 पॉची पुत्री रतीराम
6 बिमला पत्नि बीरबल
7 ग्यारसा पुत्र सूरजा
8 मुकेश पुत्र सूरजा
9 महेन्द्र पुत्र सग्गर
10 सुखीराम पुत्र सग्गर
11 सतीश पुत्र सग्गर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

12 राजेन्द्र पुत्र सग्गर

13 रामू पुत्र गुडिया

14 दयानन्द पुत्र गुडिया

15 कमलेश पुत्री लीला

16 मिश्री पत्नि यादराम

17 प्रेम पुत्री हरचन्द

18 संतोष पुत्री हरचन्द

19 सरोज पुत्री हरचन्द जातियान जाट निवासीयान ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

20 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर लैंड होल्डर

21 उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:----- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 7.7.17

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री विनोद कुमार शर्मा

2. वकील रेस्पो0 1,2 व 7 ला015 :- श्री प्रकाश गूर्जर

3. वकील रेस्पो0 3 ला06:- श्री मोहसीन खान

4. वकील रेस्पो0 16ला019:- श्री लाखन सिंह

निर्णय दिनांक 17.2.2021

----

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/14 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 7.7.17 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा वादी का उक्त वाद अंतिम तौर पर डिक्री किया गया है ।

भू-प्रबन्ध [illegible] एवं पदेन

राजस्व अ[illegible], अलवर

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद प्रस्तुत कर निवेदनकिया आराजी खसरा नम्बर 1552, 1539, 1540, 1541, 1543, 1535, 1536, 1537, 1538, 1542, 1560 वाके ग्राम तातारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर वादी व प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी है, जो विरासत में वादी व प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है । वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का देहान्त हो चुका है, लेकिन उनका इन्तकाल अभी नहीं खुला है । राजस्व रेकार्ड में सभी का शामलाती हिस्सा दर्ज है । अभी तक विधिवत रूप से तकासमा नहीं हुआ है ।परन्तु अब शामलात में खेती करना मुश्किल हो रहा है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र को प्राथमिक तौर पर डिक्री किया। इसके बाद कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वाद पत्र को अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिम तौर पर डिक्री किया है,जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि पक्षकारों को बिना सुने ही कैम्प सोडावास में निर्णय पारित कर दिया । अदालत मातहत ने इस प्रकरण को ग्राम तातारपुर की राजस्व लोक अदालत में सुनवाई व निर्णय हेतु रखा, जबकि पूर्व से ही इसमें दिनांक 22.8.17 नियत थी । पक्षकारों में आपसी सहमति नहीं बन पाने तथा कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होने के कारण पत्रावली में दिनांक 22.8.17 नियत कर दी गई। परन्तु इससे पूर्व ही लोक अदालत कैम्प सोडावास में पक्षकारों को बिना सूचित किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । पक्षकारों को बिना सुने पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत नहीं होता है । जिन खसरा नम्बरों में दीगर खातेदारों के मकान बने हुये हैं, वो अन्य खातेदारों को दे दिये गये । खेतों के छोटे छोटे टुकडे कर दिये गये । विभाजन के नियम 18 व 19 में प्रतिपादित किया गया है कि बंटवारा इस प्रकार होना चाहिये कि खेतों के छोटे छोटे टुकडे ना हो । खसरा नम्बर 1538/3 व 1538/7 वादी देशराम व प्रतिवादी रामसिंह को दिये हैं, जो दोनों टुकडे एक ही खसरा नम्बर में अलग अलग स्थान पर दिये हैं जबकि समस्त रकबा एक साथ दिया जाना चाहिये था । आराजी खसरा नम्बर 1538/4 में महेन्द्र, सुखीराम, सतीश व राजेन्द्र के मकानात बने हुये हैं, बोरिंग लगी हुई है, लेकिन कायमी कुर्रेजात के अनुसार उक्त खसरा नम्बर गोरधन को दे दिये गये ।इसी प्रकार अन्य खसरा नम्बरान का भी विभाजन कब्जा अनुसार नहीं किया गया है । सडक के नजदीक का

रकबा का भी विभाजन मुताबिक कब्जा नहीं किया गया है । विभाजन मे विभाजन के नियमों के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि जो पक्षकार जिस स्थान पर काबिज है, उसी अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है । इनको कुर्रेजात पर आपत्ति उठानी चाहिये । प्राथमिक डिक्री की आपत्ति अंतिम डिक्री में नहीं उठाई जा सकती । विभाजन में विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। हम यहां तकासमा के वाद का निस्तारण कर रहे हैं । जिसके लिये हमें यह देखना है कि विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना की गई है अथवा नहीं । दिनांक 29.12.2016 की कुर्रेजात रिपोर्ट में पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने अंकित किया है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी मुण्डावर के आदेश क्रमांक 2764 दिनांक 25.11.16 तथा तहसीलदार, मुण्डावर के आदेश क्रमांक 3370 दिनांक 28.11.16 की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर पहुंचे । इससे सिद्ध है कि स्वयं तहसीलदार मौके पर नहीं पहुंचा है । जबकि विभाजन के नियमों के अनुसार कुर्रे कायमी हेतु स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाना चाहिये । इस प्रकार विभाजन के नियमो की पालना नहीं की गई है । इसके बाद दिनांक 9.10.17 को संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई थी । यह रिपोर्ट पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार करवाई जानी चाहिये थी, परन्तु पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार नहीं करवाई गई है । यहां पर भी विभाजन के नियमों की पालना नहीं की गई है । जहां तक पक्षकारान की सुनवाई करके निर्णय पारित करने का प्रश्न है तो सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया । ऑर्डर शीट दिनांक 235.17 के अवलोकन से सिद्ध है कि उस दिन पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त रहे है और आगामी पेशी दिनांक 22.8.17 नियत की गई थी । परन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 26.517 की ऑर्डर शीट अनुसार पत्रावली कैम्प ग्राम ततारपुर में पेशी पर ले ली गई, जिसकी सूचना पक्षकारों को दिया जाना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । इस ऑर्डर शीट पर भी अंकित किया गया है कि वादी और प्रतिवादी अनुपस्थित है, सहमति नहीं बनी

है । तथा पत्रावली में पुनः आगामी पेशी दिनांक 22.8.17 नियत कर दी गई।परन्तु यहां यह अंकित नहीं किया गया है कि न्यायालय में उपस्थित होना है या किसी कैम्प में उपस्थित होना है । दिनांक 22.8.17 की तारीख पेशी नियत हो जाने के बाद इससे पूर्व ही दिनांक 7.7.17 को कैम्प ग्राम सोडावास में अपीलाधीन डिक्री पारित कर दी गई । ऑर्डर शीट में पक्षकारान के वकीलों को उपस्थित अंकित किया हुआ है, परन्तु उनके हस्ताक्षर ऑर्डर शीट पर उपस्थिति स्वरूप/सहमति स्वरूप नहीं कराये गये हैं। इसका तात्पर्य यही है कि ना तो पक्षकारान उपस्थित थे और ना ही उनके वकील उपस्थित थे। इन ऑर्डर शीट के अवलोकन से सिद्ध है कि नियत दिनांक से पूर्व ही पत्रावली कैम्प में ले जाकर निस्तारित कर दी गई, जिसकी सूचना पक्षकारान को नहीं दी गई। न्याय का यह नैसर्गिक सिद्धान्त है कि सभी पक्षकारान की सुनवाई लेकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये । बिना सुनवाई किये पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत नहीं होता है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में पक्षकारान को बिना सुने तथा विभाजन के नियमों के नियम 18 से 22 पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 7.7.17 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विभाजन के नियमों के नियम 18 से 22 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 17.3.2021 को उपस्थित हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/02/2021

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर